न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 78/2024

अनवान : –

1. कुलदीप कुमार पुत्र लालचन्द जाति कम्मो साकिन सजराना तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।

– प्रार्थी

बनाम्

1. रामचन्द्र पुत्र चौधरीराम जाति कम्मो साकिन दड़बी तहसील सिरसा हरियाणा।
2. प्रेमचन्द्रपुत्र चौधरीराम जाति कम्मो साकिन दड़बी तहसील व सिरसा हरियाणा।
3. मथरा देवी पुत्री चौधरीराम जाति कम्मो साकिन दड़बी तहसील व सिरसा हरियाणा।
4. आशारानी पुत्री चोधरीराम जाति कम्मो साकिन दड़बी तहसील व सिरसा हरियाणा।
5. कौशल्या रानी पत्नी स्व0 लालचन्द जाति कम्मो साकिन दड़बी तहसील सिरसा हरियाणा।
6. इकबालचन्द्र पुत्र झांगीराम जाति कम्मो साकिन सजराना तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
7. करमोबाई पत्नी जागीराम जाति कम्मो साकिन सजराना तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
8. कैलाश रानी पुत्री जिन्दाराम उर्फ गिन्दाराम जाति कम्मो साकिन चाहलावाली तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
9. चन्द्रगुप्त पुत्र झांगीराम जाति कम्मो साकिन सजराना तहसील व जिला फाजिल्का।
10. बसु बानो पत्नी सदाम हुसैन जाति कलाल मुसलमान निवासी कलालों की ढाणी 27 एनटीआर तहसील नोहर।
11. भीमसैन पुत्र झांगीराम जाति कम्मो साकिन सजराना तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
12. मदीना पत्नी रोशन खां जाति कलाल मुसलमान निवासी कलालों की ढाणी 27 एनटीआर तहसील नोहर।
13. मोबिना पत्नी कुरशैद खां जाति कलाल मुसलमान निवासी कलालों की ढाणी 27 एनटीआर तहसील नोहर।
14. हनुमान प्रसाद पुत्र मोमन राम जाति जाट निवासी सोतीबड़ी तहसील नोहर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
16. कैनरा बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।
17. उप पंजीयक कार्यालय रामगढ़ तहसील नेाहर।

– अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.</u>

उपस्थिति :– 1. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः– 12/11/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 16.698 हैक्ट भूमि में से 13/132 हिस्सा, रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 42/40 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 22/20

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की कुल 2.5300 हैकट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि मृतक चौधरीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 157/132 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में चौधरीराम के नाम दर्ज है एवं चौधरीराम का देहान्त हो चुका है तथा उनके एक पुत्र लालचन्द का भी देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादीया संख्या 5 उनकी पत्नी है। अतः रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 16.698 हैक्ट भूमि में से 13/132 हिस्सा, रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 42/40 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 22/20 की कुल 2.5300 हैकट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि मृतक चौधरीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी व प्रतिवादी संख्या 5 को बहिब 1/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक को 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा रोही मौजा 25 एनटीआर की भूमि संयुक्त खाता में दर्ज। वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाउ बना रखा है प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर काबिज होना चाहते है अतः रोही मौजा 25 एनटीआर का खाता व लगान अलग किया जावे।

सायलान व गैरसायल का खाता मुश्तरका है सायलान का गैरसायल से सींव लगान व काश्त आदि का झगड़ा रहता है। गैरसायलान अजनबी केतागण को वाद भूमि पर विभाजन से पहले काबिज करवाना चाहते है एवं अच्छी भूमि का बैचान करना चाहते है। अगर गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अपूर्णीय क्षति सायल को होगी। अतः गैरसायलान को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से कन्फर्म किया जावे की जब तक खाता विभाजन न हो तब तक वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 16.698 हैक्ट भूमि में से 13/132 हिस्सा, रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 42/40 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 22/20 की कुल 2.5300 हैकट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि म तथा रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 157/132 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि मे अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 14 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिका[illegible] [illegible]रीराम के नाम दर्ज है चौधरीराम का देहान्त हो चुका है चौधरीराम के के[illegible] विरासतन नामान्तरण दर्ज होना है जिससे हम उत्तरदातागण को कोई ऐतराज नही है [illegible]र अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णीय क्षति उत्तरदातागण को होगी क्योंकि न तो विरासतन नामान्तरण दर्ज होगा एवं न

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ही अप्रार्थीगण अपने हिस्सा पर केसीसी आदि सरकारी योजनओ का लाभ ले सकेगे अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहुचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन मूल दावें के निर्णय में तय होना है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 16.698 हैक्ट भूमि में से 13/132 हिस्सा, रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 42/40 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 22/20 की कुल 2.5300 हैकट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि मृतक चौधरीराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 157/132 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रार्थी का कथन है कि उक्त वाद भूमि वर्तमान में चौधरीराम के नाम दर्ज है चौधरी राम के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 प्रार्थी के कब्जा की भूमि मे काबिज होना चाहते है अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे जबकि अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावे ताकि उक्त वाद भूमि चौधरीराम के वारिसान के नाम दर्ज हो। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के उक्त कथनों के विवेचनास्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य है। उक्त वाद भमि की अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को होगी क्योंकि चौधरीराम के वारिसान के नाम विरातसन नामान्तरण दर्ज नही होगा इसलिए अप्रार्थीगण को विरासतन नामान्तरण दर्ज करवाने हेतु पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। जबकि प्रार्थी का यह भी कथन है कि वाद भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होते ही अप्रार्थीगण अच्छी एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि का बेचान करना चाहते है इसलिए जब तक खाता विभाजन न हो तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे। मुश्तरका खातेदार काश्तकार अपने हक हिस्सा व किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाने का अधिकारी है जो वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है चूंकि विरासतन नामान्तरण दर्ज होते ही वाद भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज होनी है, संयुक्त खाता में दर्ज भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा अपने हिस्से को रहन व बैय करने से प्रार्थी को कोई अपूर्णीय क्षति नही होगी लेकिन विशेष हिस्से का बेचना [illegible] प्रार्थी को भी अपूर्णीय क्षति होने की सम्भावना है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष मे बनता है। जब प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संतुलन भी आशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अतः विशेष हिस्से के बेचान न करने हेतु उभयपक्षों को पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक रूप से साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 43/41 की कुल 16.698 हैक्ट भूमि में से 13/132 हिस्सा, रोही मौजा चक 23 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 42/40 की कुल 5.3130 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं खाता स0 22/20 की कुल 2.5300 हैकट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि म तथा रोही मौजा चक 25 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 157/132 की कुल 6.0720 हैक्ट भूमि ताफैसला वाद के निस्तारण तक वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 विशेष हिस्से का बेचान करने से निषिद्ध रहे। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा विरास्तन नामान्तरण पर लागु नही होगी। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.11.19 17:20:13 IST
Reason: SelfAttested